



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 नवम्बर, 2018

टर्न-1/शंभु/26.11.18

बोडश विधान सभा
एकादश सत्र

26 नवम्बर, 2018 ई०

सोमवार, तिथि 05 अग्रहायण, 1940(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाहन)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

माननीय सदस्यगण, बोडश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ । वर्तमान सत्र के दौरान कुल 05 (पांच) बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के अलावा राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में आम जनता अपनी बात जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सदन तक पहुँचाती है जिससे सबके हितों की समान रूप से सुरक्षा प्रदान करते हुए नीतियों का निर्धारण होता है । जन भावना को व्यक्त करते हुए सार्थक विमर्श ही इस सभा की विशेषता है । अतः नीति निर्देशन में जनता की आवाज जितनी अधिक शामिल होगी, उस नीति में उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं की उतनी ही अधिक झलक मिलेगी और यह सब तभी हो सकता है जब सदन सुव्यवस्थित चले एवं पक्ष-विपक्ष की साझेदारी से जनहित के मुद्दों के समाधान का रास्ता निकले । माननीय सदस्यगण, इस सत्र से प्रश्नों की ऑन लाईन सूचना प्रणाली यानी क्वेश्चन रिप्लाय मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाने की शुरूआत की गयी है । इसमें आपके द्वारा ऑन लाईन प्रश्न पूछने एवं सरकार के विभागों द्वारा ऑन लाईन उत्तर सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस लघु सत्र में प्रश्नों की दो श्रेणी अल्पसूचित एवं तारांकित में 117 प्रश्न 22 माननीय सदस्यों के द्वारा ऑन लाईन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुए हैं । इनमें से सबसे अधिक प्रश्न माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दिये गये हैं । श्री गुप्ता जी के साथ अन्य माननीय सदस्यों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ । आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं । इसके साथ ही सभा सचिवालय की कार्य पद्धति को भी यथासंभव कम्प्यूटरीकृत करते हुए कागज के कम उपयोग की कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेभा) अपनाने की कार्रवाई की जा रही है । इससे संबंधित प्रथम कार्यशाला का भी आयोजन पिछले दिनों किया गया है । आपको प्रसन्नता होगी इसे लागू करने के मामले में बिहार विधान सभा की योजना सबसे आगे है । इस प्रणाली के लागू हो जाने से प्रश्नों के साथ-साथ सभा सचिवालय के अन्य कार्यों के

निष्पादन में काफी तेजी आयेगी । इसके अलावा आईटी० के विकसित तकनीकों को अपनाने में भी बिहार विधान सभा सचिवालय ने अच्छा काम किया है । इसके तहत जेम पोर्टल के माध्यम से सभा सचिवालय से जुड़े आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया गया है, जिसके लिए बिहार सरकार की ओर से सभा सचिवालय को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब बिहार की जनता की आवाज को इस सदन में नियमपूर्वक उठाते रहेंगे और सदन के सफल संचालन में आपका सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त होगा ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को घोड़श बिहार विधान सभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ ।

श्री हरिनारायण सिंह, स०वि०स०
 श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स०
 श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स०
 डा० अशोक कुमार, स०वि०स०
 श्रीमती रंजू गीता, स०वि०स०

समितियों का गठन

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं घोड़श बिहार विधान सभा के एकादश सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :-

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री श्रवण कुमार, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
श्री प्रेम कुमार, मंत्री, कृषि	सदस्य
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	सदस्य
श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स०	सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य	
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,	स०वि०स०

श्री महबूब आलम,

स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर

स0वि0स0

श्री राजू तिवारी

स0वि0स0

नियुमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

अध्यक्ष : अब प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड

(2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, घोडश बिहार विधान सभा के दशम् सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 5 (पाँच) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूँ जिसपर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत् अनुमति प्रदान की गयी है :-

(1) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018, अनुमति की तिथि 27.07.2018,

(2) बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018, अनुमति की तिथि 27.07.2018,

(3) बिहार वित्त विधेयक, 2018, अनुमति की तिथि 31.07.2018,

(4) बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018, अनुमति की तिथि 31.07.2018,

(5) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018, अनुमति की तिथि 31.07.2018 ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, विशेष न्यायालय, सी0बी0आई0, रॉची द्वारा वाद संख्या-आर0सी0 केस नं0-04(ए)/1997-आर0 में पारित न्याय निर्णय द्वारा घोडश बिहार विधान सभा के श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स0वि0स0, क्षेत्र स0-212 डिहरी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(इ) के प्रावधानों के तहत श्री मोहम्मद इलियास हुसैन, स0वि0स0

दोषसिद्धि की तिथि, दिनांक 27.09.2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्याता से निरहित हो गये हैं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2018 एवं बिहार विनयोग (संख्या-3) अधिनियम-2018 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो खर्च होने की सम्भावना है उसके सम्बन्ध में, मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ।

टर्न-2/ज्योति/26-1172018

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :

स्वर्गीय भीष्म नारायण सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य, बिहार और भारत सरकार के पूर्व मंत्री एवं असम, मेघालय, तमिलनाडू के पूर्व राज्यपाल श्री भीष्म नारायण सिंह का निधन दिनांक 01 अगस्त, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह पलामू जिला के हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं 1969 में तथा वर्ष 1972 में लेसलीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1976 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार एवं भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे । वे एक अच्छे प्रशासक थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय हीरा लाल पासवान

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हीरा लाल पासवान का निधन दिनांक 07 अगस्त, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी।

स्वर्गीय पासवान मुजफ्फरपुर जिला के सकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे प्रखर समाजवादी विचार धारा के व्यक्ति थे। वे गरीबों के उत्थान हेतु सदैव संघर्ष करते रहे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।


❀❀❀❀❀

स्वर्गीय राम रूप राय

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री राम रूप राय का निधन दिनांक 09 सितम्बर, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 107 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राय समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1952 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राय एक कुशल शिक्षक भी थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।




स्वर्गीय प्रो० रामदेव भंडारी

राज्य सभा के पूर्व सदस्य प्रो० रामदेव भंडारी का निधन दिनांक 22 सितम्बर, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय भंडारी वर्ष 1992, 1998 एवं 2002 में राज्य सभा के सदस्य रहे । वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । शिक्षाविद् स्वर्गीय भंडारी मृदुभाषी, कर्मठ, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।




स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक 22 सितम्बर, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी।

स्वर्गीय यादव समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री रहे थे। वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।




स्वर्गीय फैयाज भागलपुरी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री श्री फैयाज भागलपुरी का निधन दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी।

स्वर्गीय भागलपुरी संथाल परगना जिला के महगामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री रहे थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।




स्वर्गीय अजीजुल हक

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अजीजुल हक का निधन दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 100 वर्ष की थी।

स्वर्गीय हक पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका समाज सेवा से गहरा लगाव था। वे शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।



स्वर्गीय भोला सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री भोला सिंह का निधन दिनांक 19 अक्टूबर, 2018 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी।

स्वर्गीय सिंह बेगूसराय जिला के बेगूसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967, 1972, 1977, 1980, 1985, 2000, मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये दिनांक 17.12.2002 से 05.03.2005 तक बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर रहे। वे वर्ष 2009 में नवादा एवं 2014 में बेगूसराय लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनका साहित्य एवं भारतीय संस्कृति से बड़ा लगाव था। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

* * * * *

स्वर्गीय अब्दुल जलील

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अब्दुल जलील का निधन दिनांक 10 नवम्बर, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय जलील कटिहार जिला के कदवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990, मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लगभग 20 वर्षों तक अपने पंचायत के मुखिया रहे थे । वे लोकप्रिय, जुझारू एवं कर्मठ व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।




स्वर्गीय कमल नाथ सिंह ठाकुर

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री कमल नाथ सिंह ठाकुर का निधन दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय ठाकुर वर्ष 1976 से 1982 एवं 1984 से 1990 तक दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तथा 1990 से 1996 तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।




स्वर्गीय जागेश्वर हाजरा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री जागेश्वर हाजरा का निधन दिनांक 21 नवम्बर, 2018 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 104 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय हाजरा सहरसा जिला के सौर बाजार सह सोनवर्धा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम विधान सभा में वर्ष 1952 में एवं सोनवर्धा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 1957, 1969, 1972 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे प्रखर समाजवादी नेता थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।



टर्न-2/ज्योति/26-11-2018.11.26

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मैन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मैन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक 11.22 बजे पूर्वाह्न में स्थगित हुई)